

मूल्य परक शिक्षा में समावेशी विकास एवं चुनौतियाँ

पिंकी, शोधार्थिनी

शिक्षा संस्थान

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

भारत के ऋषियों मनीषियों ने जिन प्राचीन मूल्यों की आधारशिला रखी है वह सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् है। हमारा जीवन दर्शन सा विद्या या विमुक्तये पर आधारित रहा है। अर्थात् शिक्षा वह है जो व्यक्ति को बंधन मुक्त करती हो और उसके मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में सत्य, शिव और सुन्दर विचारों की स्थापना करती है। भारतीय संविधान निर्माता डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है और उसके चरित्र में ईमानदारी और सद्गुण नहीं हैं तो वह अशिक्षित व्यक्ति से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एल्विन टॉफ़लर भी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि— भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ न पाये, अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। दरअसल मूल्य हमारे जीवन में सही कार्य करने में पथ प्रदर्शन होते हैं और शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना भी है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में सुगतमित्रा बड़ी ही सटीक टिप्पणी करते हैं वे कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता को यूरोपीय लोगों ने बनाया, इस सभ्यता को चलाये रखने के लिये कर्मचारियों, अधिकारियों से बनी नौकरशाही चाहिये थी। इसके उत्पादन के लिये उन्होंने एक नई स्कूल प्रणाली बनाई जिसे शिक्षा कहा गया। यह शिक्षा प्रणाली एक दूसरे के समान लोगों को पैदा करती है जो पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना जानते हैं। यह प्रणाली उनके साम्राज्य के साथ-साथ विश्वव्यापी हो गई।" कहने का सार यह है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें सीखने नहीं देती बल्कि इसका उद्देश्य एक जैसे सांचे तैयार करना होता है। पर समस्या इतनी सरल नहीं है और न ही एक तरफा है कि आज की शिक्षा में सब गलत ही गलत है, अच्छा कुछ भी नहीं। वस्तुतः आज की शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत इसलिये नहीं है कि वह बुरी है, बल्कि इसलिये है कि वह नये परिदृश्य में पुरानी पड़ चुकी है। अब वास्तव में लोगों को समझदार, स्वावलम्बी एवं विश्लेषणात्मक पढ़ाई, में सक्षम होने की जरूरत है। भारत जो कि नई विश्व व्यवस्था में अपनी सम्मानजनक जगह बनाने के लिये प्रयासरत है उसे औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना करने की सबसे अधिक जरूरत है। क्योंकि भारी विषमता से ग्रस्त भारतीय समाज में नवोन्मेषी भारतीयों को तैयार करना भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

भारत में आज जो मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली है वह अंग्रेजों की देन है। आजादी के बाद भी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा मैकाले पद्धति पर ही आधारित है जो विषमता को बढ़ाने वाली, विडम्बनापूर्ण एवं अभावग्रस्त है। दुर्भाग्य तो यह है कि शिक्षा के उदासीन व गैर जिम्मेदार अभिभावक व प्रबंधकर्ता भी यही प्रणाली पैदा कर रहे हैं। गरीबी बेरोजगारी, लोकतंत्र में व्याप्त अलोकतांत्रिक विवेकहीनता, सामाजिक अशांति, असहिष्णुता ये सब कहाँ से पैदा हो रही हैं? भ्रष्टाचार की शिक्षा कहाँ से मिल रही है? सफाई स्वास्थ्य जवाबदेही को लेकर भारतीयों में नागरिक मूल्यों का विकास क्यों नहीं हो पाया है? हम कृषि व्यापार या जीवन में इतने जड़ और लकीरी क्यों हैं? हमें अपनी भाषा, अपनी परंपरा एवं समाज की शक्ति का अहसास क्यों नहीं है? स्पष्ट है इन सभी प्रश्नों का जवाब कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में छिपा है। शिक्षा को सक्षम बनाने के लिये सबसे पहले हमें एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी ताकि भीषण रूप से व्याप्त शैक्षिक विषमता समाप्त की जा सके। गांव के प्राइमरी स्कूल और डी०पी० एस जैसे स्कूलों के बीच जो जमीन आसमान का अंतर है, वह एक ही राष्ट्र में दो देश पैदा कर रहा है। दूसरी बात भाषा की है। भारत की नवोन्मेषी प्रतिभा पर सबसे बड़ा भार अंग्रेजी भाषा का है। भारत के उभार का एक उपकरण अंग्रेजी भाषा मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा के रूप में हम बच्चों के पैर में एक भारी पत्थर बांध देते हैं और फिर उससे दौड़ने, उछलने और अब्बल आने की अपेक्षा करते हैं। तीसरी बात शिक्षा की संस्कृति को भारतीय संस्कृति, सामुदायिकता एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता से है। शिक्षा का मतलब अक्षरों से निष्प्राण

साक्षात्कार भर नहीं है, बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति की अनवरत समीक्षा है। मूल्यपरक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया स्वावलंबन एवं संस्कृति से ही निर्धारित होती है।

आज शिक्षा केवल शुद्ध ज्ञानार्जन के लिए न होकर देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। शिक्षा द्वारा मानव की क्षमता का विकास होता है और सक्षम कुशल मानव देश, का समाज का व आर्थिक जगत का विकास करता है। वास्तव में, इसे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मुख्य साधन कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा मानव संसाधन के कौशल विकास में योगदान देकर सामाजिक विकास में मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि इससे कौशल, क्षमता तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उच्च कौशल तथा उच्च वेतन वाले कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलना उच्च शिक्षा की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। उच्च शिक्षा से रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हों। समाज का कोई भी नागरिक किसी भी वर्ग, धर्म का क्यों न हो, शिक्षा से वंचित न हो सके। समावेशी विकास के अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को सुलभ, कम लागत वाली तथा गुणवत्ता वाली बनाने के लिए और कई नए कदम उठाए गए हैं। भारत में उच्च शिक्षा में समावेशी विकास की चुनौतियां भी हैं, जैसे शिक्षा में समान-हिस्सेदारी प्रदान करना, पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सरकार विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों, संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, सुयोग्य और सक्षम संकाय सदस्यों की कमी दूर करना, पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना, शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन लाना आदि।

भारत में शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से है। वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते। आज भी हमारी शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से वही हैं जो वैदिक काल में थे। वैदिककाल की भांति हम आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो अन्तर है वह तो विकास के क्रम में होना स्वाभाविक ही था। हमारे देश में वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर वैदिक में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड की अति हुई जैसे-वैदिककाल में केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके विपरीत बौद्धकाल में शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए हुये थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में ही समावेशी शिक्षा की आधार शिला रख दी गई थी। शिक्षा सभी को उपलब्ध हो। बौद्धकाल में भारत अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र था। सुदूर देशों से आने वाले छात्र अध्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौटते थे और वहाँ दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व-बन्धुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। भारत को एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र बनाकर इन सिद्धान्तों का विश्व में व्यापक प्रचार किया जा सकता है। डॉ० महेश चन्द्र सिंघल के अनुसार – शान्ति, अहिंसा, प्रेम और 'वसुधैव कुटुम्बकम्', का सिद्धान्त विश्व में फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा आज भी किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा हेतु महामना ज्योतिबाराव फुले एवं माता सावित्रीफुले का योगदान भी महत्वपूर्ण है। महामना ज्योतिबाराव फुले के प्रयास से वुड का घोषणा पत्र, 1854 में घोषणा की गई-निस्सन्देह सिद्धान्त को निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही नहीं, सबके लिए सुलभ कराई जाएगी इसी घोषणा में स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने और उनकी भौतिक उन्नति करने के लिए स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता है और इसके विकास हेतु बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान, स्त्रीशिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जायगा।

इसी क्रम में माइकेल एफ० जिआन ग्रैको ने कहा है कि – समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धान्तों और प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी औरसार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। वैसे देखा जाए तो कहा जासकता है कि भारत में भी 'समावेशी शिक्षा' अमेरिका के 'मुख्य धारा-आन्दोलन' का ही परिणाम है। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य

धारा में लाना है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह कि असमर्थ बालकों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाये जब वहाँ का वातावरण उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आपको दूसरे बच्चों से अलग महसूस न करें। वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निः शुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। समावेशी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण कदम है जिससे कोई बालक शिक्षा से वंचित न हो पाये। भारत का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, अर्थात् ऐसे समाज की स्थापना करनी है जहाँ सभी जाति, प्रजाति, वर्ण, सम्प्रदाय के लोगों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, सभी को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी, सभी को सुखी जीवन व्यतीत करने के समस्त अवसर प्राप्त होंगे और सभी को समस्त नागरिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में समाजवाद की भावना को विकसित करके उसी स्थायी बनाना होना चाहिए। पंडित नेहरू के शब्दों में, मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की ओर विकास किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित (1992) के अनुसार— शिक्षा के अनुभवों तथा सोचने के तरीके में संशोधन करने की कोशिश है ताकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों जैसे—समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, प्रजातंत्र आदि को पूरा करने में योगदान दे सके। नई शिक्षा नीति : 2020 के अनुसार— स्कूलों से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. (Gross Enrollment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर पर 'एजुकेशन फॉर आल' का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में जी.ई.आर. वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करने की लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2019–20 में उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्गों के छात्रों का प्रतिशत 27.1 था जबकि वर्ष 2018–19 में यह 36.3 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 में 24.3 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कुल मिलाकर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

उच्च शिक्षा में समावेशी विकास एवं चुनौतियाँ :

- हमारे देश में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, विशेषकर उच्च शिक्षा में समान हिस्सेदारी नहीं है, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के शिक्षित होने की जरूरत न समझा जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध न होना, गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाना, साक्षर होने को ही शिक्षित समझ लेना आदि। किसी भी देश के विकास के लिए उसके नागरिकों का विकास जरूरी है और यह सिर्फ शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है। इसके लिए सभी नागरिकों को शिक्षा में समान हिस्सेदारी प्रदान करना जरूरी है जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
- भारत में अधिकांश जनता गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। धनी और मध्यम, वर्ग के लोग तो जैसे-तैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आज के भारत में दिवा स्वप्न ही बनकर रह गया है। सीमित संसाधनों में से शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान करना भी एक चुनौती से कम नहीं है।
- सरकार, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वयन करना एक कठिन कार्य है यथाशीघ्र ही समन्वय करने की अति आवश्यकता है ताकि शिक्षण संस्थाओं, विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों और पाठ्यक्रमों आदि से संबंधित सभी चुनौतियों पर विचार किया जा सके।
- गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट और सक्षम संकाय सदस्यों का होना अति आवश्यक है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, एवं उच्च संस्थानों में संकाय विकास प्रति उदासीनता देखी जाती

है। उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के सुयोग्य और सक्षम संकाय सदस्यों को अपने ही देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

- पुराने पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। समय के साथ रोजगार परक पाठ्यक्रम की अतिआवश्यकता है। विश्व स्तरीय बनाने हेतु विषयों के पाठ्यक्रमों में जो भी बदलाव आते हैं, उनके अनुरूप हमारे विश्वविद्यालयों में भी परिवर्तन किये जाने चाहिए। वैश्विक स्तर पर पाठ्यक्रमों में बदलाव के काफी समय बाद हमारे यहाँ उन्हें अपनाया जाता है, जिससे शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाता है और हमारे छात्र का विकास नहीं हो पाता है।
- शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता भविष्य को खतरों में डालती है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएँ, शोधकार्य, अध्यापन, अध्ययन, न करने के लिए छात्र एवं शिक्षक को जिम्मेदारी बनती है। इस पर सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थानों में आपसी टकराव शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए जिम्मेदार होता है। इस अव्यवस्था को दूर करने के शिक्षा में अनुशासन लाना एवं बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- भारत में बढ़ती जनसंख्या मद्देनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उच्च शैक्षिक संस्थानों की वृद्धि करना अति आवश्यक है। इसके अलावा ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था समावेशी शिक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। सभी छात्रों को विभिन्न विषयों में शिक्षा उपलब्ध हो सकें।

उच्च शिक्षा में समावेशी विकास :

भारत में प्रत्येक वर्ष में विश्वविद्यालयों की संख्या एवं महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012-13 में जहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या 642 थी, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1043 हो गई है। इसी प्रकार महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2012-13 में 34852 थी, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 54142 हो गई है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाता है कि उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का छात्र लाभ उठा रहे है। भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के अनुसार "वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों की अवधि में छात्र नामांकन में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक नामांकन उत्तर-प्रदेश में हुए, इसमें 49.1 प्रतिशत छात्र और 50.9 प्रतिशत छात्राएँ हैं। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र कास्थान आता है। कुल शिक्षकों की संख्या 15,03,156 है, जिनमें से लगभग 57.5 प्रतिशत पुरुष शिक्षक हैं और 42.5 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 74 महिला शिक्षक हैं।

निष्कर्ष :

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य समावेशी विकास पर आधारित होना चाहिए। पंडित नेहरू के शब्दों में शिक्षा का संतुलन मानव का विकास करना चाहिए और युवकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने तथा सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। पर जब समाज में दिन-प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हों तब यह बताना कठिन है कि युवकों को किस प्रकार तैयार किया जाए और शिक्षा के क्या उद्देश्य हों। समावेशी विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा का समावेशन अर्थ है कि समाज का कोई भी वर्ग वंचित न रहें। शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं मौजूद हो जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक और सामाजिक स्तर के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा तक सभी की पहुँच हो। शिक्षा प्राप्त करने में लागत कम हो जिससे समाज के धनी से लेकर निर्धन तक के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। इन मूल प्रवृत्तियों का समविकास होना चाहिए जिससे व्यक्ति का केवल शारीरिक या मानसिक या क्रियात्मक विकास ही न बरन् उसकी सभी जन्मजात शक्तियों का समान रूप से विकास हो। पेस्टालॉजी के शब्दों में - शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सन्तुलित और प्रगतिशील विकास है। गांधी जी ने शरीर बुद्धि और आत्मा तीनों के सन्तुलित विकास पर बल देते हुए कहा है, शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रणपूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और

यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी विकास के लिए शिक्षा का समावेशी होना अतिआवश्यक है। तभी राष्ट्र की प्रगति तीव्र होगी।

संदर्भित ग्रन्थ सूची :

1. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ— रमन बिहारी लाल, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
2. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ— पी०डी० पाठक, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा,
3. सामाजिक न्याय, एक सचिव परिचय, — रामपुनियानी, वाणी प्रकाशन, पटना,
4. पांचजन्य , अप्रैल-2015 ,
5. समावेशी विद्यालय का सृजन — यतीन्द्र ठाकुर, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा,
6. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र , लूसेन्ट पब्लिकेशन्स, पटना, बिहार,
7. शिक्षा में दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य—प्र० गिरीश पचौरी, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ,
8. शिक्षण तकनीकी— नीतू औहरी, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली
9. Speedy, करेंट अफेयर्स , वार्षिकांक 2020,
10. करेंट अफेयर्स (संग्रह) जून भाग-1, 2021,
11. [hindi,careerindia.com](http://hindi.careerindia.com) (AISHE report=2020)
12. भारत , कल, आज, और कल— रहीस सिंह, MC Graw Hill Education (India) Private Limited Chennai,
13. Drishtiias.com
14. समावेशी विकास और नया भारत, —डॉ० रमाकांत शर्मा, यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली,
15. www.sih.gov.in
16. प्रतियोगिता दर्पण, अतिरिक्तांक 2020, भारतीय अर्थव्यवस्था,